न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री ब्रह्मलाल जाट , आर.ए.एस.

प्रार्थी :—
जगमालसिंह पुत्र कल्याणसिंह
राजपूत सा. रेवासा दलेलपुरा

बनाम

अप्रार्थी :—
राज. सरकार जरिये तहसीलदार
नावां जिला नागौर

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :— श्री राजेश कुमावत वकील प्रार्थी

मुकदमा नम्बर :— 34 / 2019

निर्णय दिनांक :— 29.07.2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 591 रकबा 4.32 हैक्टयर, 746 / 607 रकबा 2.51 हैक्टयर, 1403 रकबा 0.42 हैक्टयर, 104 रकबा 0. 94 हैक्टयर, 106 रकबा 0.50 हैक्टयर, 81 रकबा 1.09 हैक्टयर, 95 रकबा 0.01 हैक्टयर 97 रकबा 0.01 हैक्टयर, 98 रकबा 0.81 हैक्टयर 588 रकबा 2.31 हैक्टयर 589 रकबा 2.97 हैक्टयर, 590 रकबा 4.26 हैक्टयर व 287 रकबा 3.80 हैक्टयर भूमि स्थित हैं जिसमें प्रार्थी का नाम जगमालसिंह पुत्र कल्लासिंह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम कल्याणसिंह हैं प्रार्थी के राशन कार्ड , मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य खातेदारी भूमियों में प्रार्थी का नाम जगमालसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज रिकार्ड हैं, उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियों में प्रार्थी के पिता का नाम कल्लासिंह के स्थान पर कल्याणसिंह दर्ज कर रिकार्ड शुद्ध किऐ जाने की का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी ने जवाब पेश कर बताया हैं कि वास्तविक जांच में मौके पर उपस्थित मौतबरान से प्राप्त जानकारी व प्रार्थी के दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का नाम जगमालसिंह पुत्र कल्लासिंह के स्थान पर जगमालसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत दर्ज किया जाना उचित हैं। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त वर्णित विवादित आराजीयत में प्रार्थी का नाम जगमालसिंह पुत्र कल्लासिंह सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं, प्रार्थी द्वारा मतदाता पहचान पत्र व राशनकार्ड आदि दस्तावेजात की छाया प्रति पेश की हैं जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम कल्याणसिंह दर्ज रिकार्ड हैं इसी प्रकार प्रार्थी ने ग्राम रेवासा दलेलपुरा के अन्य खसरा नम्बर 244, 245 कुल रकबा 3.44 हैक्टयर , 61,62,63, 64, व 291, 418, 448, 744 / 448, 777 / 61,779 / 77 व 601, 608, 609, 660 की जमाबन्दी नकल सम्वत 2075–78 पेश की हैं जिसमें प्रार्थी का सह खातेदारी में नाम जगमालसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज रिकार्ड हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि प्रार्थी के पिता का सही नाम कल्याणसिंह हैं प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान की भूमि में सहवन से कल्लासिंह दर्ज हो गया हैं प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में कल्याणसिंह दर्ज रिकार्ड हैं जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 591 रकबा 4.32 हैक्टयर, 746 / 607 रकबा 2.51 हैक्टयर, 1403 रकबा 0.42 हैक्टयर, 104 रकबा 0. 94 हैक्टयर, 106 रकबा 0.50 हैक्टयर, 81 रकबा 1.09 हैक्टयर, 95 रकबा 0.01 हैक्टयर 97 रकबा 0.01 हैक्टयर, 98 रकबा 0.81 हैक्टयर 588 रकबा 2.31 हैक्टयर 589 रकबा 2.97 हैक्टयर, 590 रकबा 4.26 हैक्टयर व 287 रकबा 3.80 हैक्टयर भूमि में दर्ज जगमालसिंह पुत्र कल्लासिंह राजपूत के स्थान पर जगमालसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)